

# Haryana Government Gazette EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

53-2023/Ext.] CHANDIGARH, WEDNESDAY, MARCH 15, 2023 (PHALGUNA 24, 1944 SAKA)

#### HARYANA VIDHAN SABHA

#### Notification

The 15th March, 2023

**No. 4-HLA of 2023/112/4563.**— The Haryana Development and Regulation of Urban Areas (Amendment) Bill, 2023 is hereby published for general information under proviso to Rule 128 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly:-

Bill No. 4-HLA of 2023

# THE HARYANA DEVELOPMENT AND REGULATION OF URBAN AREAS (AMENDMENT) BILL, 2023

# A

#### BILL

further to amend the Haryana Development and Regulation of Urban Areas Act, 1975.

Be it enacted by the Legislature of the State of Haryana in the Seventy-fourth Year of the Republic of India as follows:-

- 1. This Act may be called the Haryana Development and Regulation of Urban Areas (Amendment) Act, 2023.
- 2. For clause (n2) of section 2 of the Haryana Development and Regulation of Urban Areas Act, 1975 (hereinafter called the principal Act), the following clause shall be substituted, namely:-
  - '(n2) "Transferable Development Rights Certificate (TDR Certificate)" means the certificate of development rights given to an owner who surrenders such land to vest with the Government without claiming any compensation and such development rights may be sold or traded or auctioned by the owner;'.
- 3. In section 8A of the principal Act,-
  - (i) for sub-section (1), the following sub-section shall be substituted, namely:-
    - "(1) The Director may perform all functions under this Act through electronic form and internet or may engage any person or agency to perform such functions on his behalf.";

Short title.

Amendment of section 2 of Haryana Act 8 of 1975.

Amendment of section 8A of Haryana Act 8 of 1975.

- (ii) after clause (c) of sub-section (2), the following clause shall be inserted, namely:-
  - "(cc) scrutiny, enquiry, processing or correspondence regarding an application for grant of TDR Certificate and issue, holding, sale, trade or auction of TDR Certificate and its utilisation in part or full along with all other functions appurtenant thereto, as may be specified;";
- (iii) after sub-section (2), the following sub-section shall be added, namely:-
  - "(3) In case the Director engages any person or agency under sub-section (1), a fee may be recoverable from the users for such online function at such rates, in such form and manner, as may be specified. Such fee may be shared with the person or agency engaged. The fee collected under this sub-section shall be maintained in an Information Technology fund created, managed and operated by the Director for Information Technology related expenses."

#### STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

In order to streamline the operationalisation of online Transferable Development rights (TDR) management system, certain amendments in the Act of 1975 have been considered necessary.

The definition of TDR in clause (n2) of section 2 is proposed to be amended to incorporate an enabling provision for transfer/ sale of TDR certificate through sale, trade, auction mechanism, and, to rectify the inadvertent restriction imposed in the definition on geographical location of the buyer of TDR certificate.

Further, existing sub-section (1) of section 8A of the Act of 1975 is proposed to be substituted to allow engagement of professionals or agency by the Director to enable delivery of online functions of the Department. Enabling provision is also proposed to be inserted to enable online processing of TDR application, its online issuance, holding in dematerialized form, its online sale, trade, auction and its utilization (partly or fully) and performing of all other related functions in online mode.

Finally, an enabling provision is proposed to be inserted as sub-section (3) in section 8A of the Act for recovery of fee from users of the online service to be maintained in an 'Information Technology Fund' created, managed and operated by the Director for Information Technology related services.

Hence this BILL.	
	MANOHAR LAL, Chief Minister, Haryana.
Chandigarh: Гhe 15th March, 2023.	R. K. NANDAL, Secretary.

[प्राधिकृत अनुवाद]

# 2023 का विधेयक संख्या 4-एच०एल०ए०

## हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास तथा विनियमन (संशोधन) विधेयक, 2023 हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास तथा विनियमन अधिनियम, 1975 को आगे संशोधित करने के लिए विधेयक

भारत गणराज्य के चौहत्तरवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

संक्षिप्त नाम।

1. यह अधिनियम हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास तथा विनियमन (संशोधन) अधिनियम, 2023, कहा जा सकता है।

1975 के हरियाणा अधिनियम 8 की धारा 2 का संशोधन।

- 2. हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास तथा विनियमन अधिनियम, 1975 (जिसे, इसमें, इसके बाद मूल अधिनियम कहा गया है), की धारा 2 के खण्ड (ढ2) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—
  - '(ढ2) ''अन्तरणीय विकास अधिकार प्रमाणपत्र (टी०डी०आर० प्रमाणपत्र)" से अभिप्राय है, किसी स्वामी, जो किसी प्रतिकर का दावा किए बिना सरकार में निहित करने के लिए ऐसी भूमि सुपुर्द करता है, को दिए गए विकास अधिकारों का प्रमाणपत्र तथा ऐसे विकास अधिकार स्वामी द्वारा विक्रय या व्यापार या नीलाम किए जा सकते हैं ;'।

1975 के हरियाणा अधिनियम 8 की धारा 8क का संशोधन।

- मूल अधिनियम की धारा 8क में,—
  - (i) उप-धारा (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-धारा प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्:-
    - "(1) निदेशक, इलेक्ट्रानिक रूप तथा इंटरनेट के माध्यम से इस अधिनियम के अधीन सभी कृत्यों का निर्वहन कर सकता है या अपने निमित्त ऐसे कृत्यों का निर्वहन करने के लिए किसी व्यक्ति या अभिकरण को नियोजित कर सकता है ।":
  - (ii) उप—धारा (2) के खण्ड (ग) के बाद, निम्निलिखित खण्ड रखा जाएगा, अर्थात्:—
    "(गग) टी०डी०आर० प्रमाणपत्र प्रदान करने के लिए किसी आवेदन के संबंध में संवीक्षा, जांच,
    प्रक्रिया या पत्राचार करना तथा इससे जुड़े सभी अन्य कृत्यों, जो विनिर्दिष्ट किए जाएं,
    सहित भागतः या पूर्णतः टी०डी०आर० प्रमाणपत्र जारी करना, बनाए रखना, विक्रय,
    व्यापार या नीलाम करना तथा इसका उपयोग करना;";
  - (iii) उप-धारा (2) के बाद, निम्नलिखित उप-धारा जोडी जाएगी, अर्थातु:-
    - "(3) यदि निदेशक उप—धारा (1) के अधीन किसी व्यक्ति या अभिकरण को नियोजित करता है, तो ऐसी दरों पर, ऐसे प्ररूप तथा रीति, जो विहित की जाए, में ऐसे आनलाईन कृत्य के लिए उपयोगकर्ता से फीस वसूलीयोग्य होगी। ऐसी फीस नियोजित किए गए व्यक्ति या अभिकरण द्वारा बाँटी जा सकती है। इस उप—धारा के अधीन संगृहीत फीस सूचना प्रौद्योगिकी के सम्बन्धित व्ययों हेतु निदेशक द्वारा सूचित, प्रबन्धित तथा संचालित सूचना प्रौद्योगिकी निधि में अनुरक्षित की जाएगी।"।

### उद्देश्यों तथा कारणों का विवरण

अन्तरणीय विकास अधिकार (टीडीआर) प्रबंधन प्रणाली के ऑनलाइन संचालन को सुव्यवस्थित करने हेतु 1975 के अधिनियम में कुछ आवश्यक संशोधन सुविचारित हैं।

धारा 2 के खण्ड (ढ2) में टीडीआर की परिभाषा को संशोधित कर एक सक्षम प्रावधान समाविष्ट करना प्रस्तावित है तािक विक्रय, व्यापार, नीलामी तंत्र के माध्यम से टीडीआर प्रमाण—पत्र का हस्तांतरण / विक्रय संभव हो सके तथा क्रेता की भौगोलिक स्थिति पर अनजाने में लगाए गए प्रतिबंध को सुधारा जा सके।

इसके अलावा, विभाग के ऑनलाइन कार्यों के वितरण को सक्षम करने के लिए 1975 के अधिनियम की धारा 8ए की मौजूदा उप-धारा (1) को प्रतिस्थापित करने का प्रस्ताव है जिससे कि निदेशक द्वारा पेशेवरों या एजेंसी की नियुक्ति की जा सके। टीडीआर आवेदन के ऑनलाइन प्रसंस्करण, इसके ऑनलाइन जारी करने, डीमैट रूप में होल्डिंग, इसकी ऑनलाइन बिक्री, व्यापार, नीलामी और इसके उपयोग (आंशिक या पूर्ण रूप से) को सक्षम करने और अन्य सभी संबंधित कार्यों को ऑनलाइन मोड में करने के लिए सक्षम प्रावधान भी शामिल करने का प्रस्ताव है।

अंत में, अधिनियम की धारा 8ए में उपधारा (3) के रूप में समर्थकारी प्रावधान डालने का प्रस्ताव है ताकि ऑनलाइन सेवा के उपयोगकर्ताओं से शुल्क की वसूली की जा सके जिसे निदेशक द्वारा निर्मित, प्रबंधित और संचालित 'सूचना प्रौद्योगिकी कोष' में सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित सेवाओं के लिए बनाए रखा जाएगा।

अतः यह विधेयक प्रस्तावित है।

मनोहर लाल, मुख्य मन्त्री, हरियाणा।

चण्डीगढ़ : दिनांक 15 मार्च, 2023. आर० के० नांदल, सचिव।

10270-H.V.S.-H.G.P., Pkl.